

10.08.2020

सहायक सहायक जिला प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक (विज्ञान एवं सौख्य
सांख्यिकी) जोधपुर जिला (राजस्थान) एवं श्रीमान जिला सहायक सहायक
सहायक के आदेश से राजस्थानी भाषा राष्ट्रीय लोक अकादमी में ईप के माध्यम
प्रस्तुत हुई।

राष्ट्रीय प्रश्नी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। राष्ट्रीय प्रश्नी एवं
पैरोकार सरकार के विवेचन पर राजस्थानी में उपलब्ध दस्तावेजों का
सहायक-किया गया। प्रश्नी का प्रथम मासिक इंग्लिश मासिक सौख्य
होने से सौख्य किया जाता है। राजस्थानी सौख्य सुभार होकर सार
सहायक इंग्लिश उपस्थित दस्तावेज है।



सहायक

सहायक सहायक

दस्तावेज (राजस्थानी)

सहायक सहायक सहायक
दस्तावेज (राजस्थानी) संख्या ११



राष्ट्रीय सहायक
एवं मासिक सहायक सहायक
राष्ट्रीय लोक अकादमी
दस्तावेज संख्या ११

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 296/2024
दायर दिनांक :- 18.11.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/438
निर्णय दिनांक :- 10.05.2025

1. गोपालाराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. जुगताराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मोहनी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. रामकिशन पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. सुगनी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. सेमी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. हुक्माराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रार्थी

बनाम

1. हनुमानराम पुत्र जुगताराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. अर्जुनराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. बीरबलराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. जुगताराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. हजारीराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी


-अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

- उपस्थित :-
1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
 2. श्री विजय तंवर अधि. अ.प्रा.सं 1 व 4
 3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 28.01.2022 को जारी आदेश क्रम संख्या 190 की पालना में दिनांक 17.05.2022 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश


10/5/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 17.05.2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 17.05.2022 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की और से अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 17.05.2022 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा कभी भी अपनी खातेदारी भूमि की पटवारी हल्का को मौके पर ले जाकर पैमाईश नहीं करवायी गयी। पटवारी हल्का द्वारा कार्यालय में बैठकर कर तैयार की गई मौका फर्द के अनुसार पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्ड्ड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 17.05.2022 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है।




सहायक कलेक्टर
वा. (पटवारी)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 121/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गडढी मौका फर्द दिनांक 17.05.2022 अनुसार पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
बाप (फलोदी) अधिकारी

